न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 165 / 2021 GCMS NO. 2021/303** **सनवानी छोटेलाल बनाम अंकित आदि** **अन्तर्गत धारा 111 / 128 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2025	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि वाके ग्राम **धुलवा** स्थित आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 1.86 हेक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/6 भाग पर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी करवाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम **धुलवा** पटवार हल्का **धुलवा** तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या **36** के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 1.86 हेक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2020 द्वारा पटवारी हल्का **धुलवा** के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 04.11.2020 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा **आदेश** अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **धुलवा** पटवार हल्का **धुलवा** तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 1.86 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.86 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का **धुलवा** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 04.11.2020 के अनुसार **2,000/–** रूपये की फीस पर उपरोक्त भूमि के चारों तरफ लगने वाले खसरा नम्बरों के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 1.86 हेक्टेयर की चारों सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **07.03.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमन देवी) उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)	

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested